

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan State** from the **094 Malpura** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that—

Shri Kanhaiyalal (Name)


Jaipur Road, Todaraisingh Th. Todaraisingh, Distt. -Tonk Pin 304505 (Address)

Sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized/registered political party)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Tonk

Dated: 03-12-2023


(Manoj Kumar Verma)
Returning Officer
094 Malpura AC
(S.D.M.) Malpura

(मनोज कुमार वर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर
(एस०डी०एम) मालपुरा

प्ररूप 21 ग

(नियम 64देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

094 मालपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में,

मैं घोषणा करता हूं कि -


श्री कन्हैयालाल (नाम)

जयपुररोड, टोडारायसिंह तह. टोडारायसिंह, जिला टोंक पिन 304505 (पता)

जो भारतीयजनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं को उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: टोंक

दिनांक: 03-12-2023


(मनोज कुमार वर्मा)
रिटर्निंग अधिकारी
094 मालपुरा विधानसभा क्षेत्र
(एस.डी.एम.) मालपुरा

(मनोज कुमार वर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर
(एस०डी०एम) मालपुरा